अभिलेखों की वीडिंग हेतु टेन्डर की नियम व शर्ते

1 टेन्डर फार्म का मूल्य रू0 500.00 का होगा जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/जिला सहकारी बैंक/उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक की किसी भी शाखा से निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो **"उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0," के पक्ष में हो**, निर्धारित वीडिंग फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

2. दिनांक 10.11.2017 अपरान्ह् 2 बजे तक बैंक के बहुखण्डी भवन के भूतल पर रिसेप्शन पर रखे बाक्स में डालने होगें उक्त समयावधि के पश्चात् टेन्डर स्वीकार्य नहीं होंगें।

3. टेन्डर की सिक्योरिटी राशि रू0 50000/– का ड्राफ्ट उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, के पक्ष में देय होगा, टेन्डर के साथ उपलब्ध कराना होगा जो कि वीडिंग का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर रिफण्ड किया जायेगा। टेन्डर अस्वीकृत होने की दशा में ड्राफ्ट मूल रूप में वापस कर दिया जायेगा।

4. सील्ड टेन्डर दिनांक 10.11.2017 को अपरान्ह् 4:00 बजे वीडिंग कमेटी के समक्ष खोले जायेगें तथा अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म वीडिंग का कार्य करायेगी एवं समान दरें प्राप्त होने की दशा में उन फर्मो को बैंक पैनल में रख कर रिकार्ड की वीडिंग कराई जायेगी। प्राप्त अधिकतम दर एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

5. टेन्डरकर्ता फर्म बैंक के रिकार्ड को प्रदेश की 28 शाखाओं (बाजपुर शाखा उत्तराखण्ड) से छंटवाने, सूचीबद्व करने एवं उसे शाखा स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष निस्तारित करेगी।

6. टेन्डरकर्ता फर्म द्वारा रिकार्ड उठाने से पूर्व उसके वजन के मूल्य की धनराशि शाखा में जमा कराई जायेगी।

7. टेन्टरकर्ता फर्म को रिकार्ड छंटाई हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा तथा रिकार्ड जहॉ है जैसा है के आधार पर उठाना होगा।

8. टेन्डरकर्ता फर्म के लिये अनिवार्य होगा कि वे टेन्डर के साथ राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों में रिकार्ड की वीडिंग सम्बन्धी आर्डर के दस्तावेज टेन्डर फार्म के साथ अवश्य संलग्न करेगें।

9. फर्म का कार्य संतोषजनक न होने के स्थिति में बैंक को टेन्डर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Scanned by CamScanner

10. टेन्डरकर्ता फर्म को अनिवार्य रूप से रिकार्ड को लुग्दी मे परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी पेपर मिल का प्रमाण–पत्र दो मूल प्रतियों में बैंक को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा।

11. कार्यादेश जारी करने के पश्चात॒ कार्य को निर्धारित मापदंड और गुणवत्ता के अनुसार तथा समय पर दिये गये सक्षम निर्देशों का पालन करते हुए पूर्ण करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि, कमी, देरी अथवा परिवर्तन होने पर निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

12. कार्यादेश जारी करने के पश्चात् यदि निविदादाता कार्य करने में असमर्थता लिखित में व्यक्त करता है तो यह कार्य द्वितीय अधिकतम दर वाले निविदादाता को आवंटित किये जाने पर विचार किया जायेगा और दोनों निविदादाताओं के बीच कार्य के मूल के अन्तर की राशि की वसूली प्रथम निविदादाता से की जा सकेगी।

13. कार्यादेश जारी होने की तिथि से निविदादाता द्वारा 10 दिन से अधिक का विलम्ब, कार्य प्रारम्भ करने में करता है तो यह माना जायेगा कि वह कार्य करने में असमर्थ रहा है और उसके कार्यादेश को निरस्त करने पर विचार किया जायेगा।

14. निविदादाता को सभी रिकार्ड का निस्तारण कार्यादेश जारी होने के एक माह के अन्दर सम्पन्न करना होगा।

Scanned by CamScanner

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,

2, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

निविदा –प्रपत्र

क0सं0	विवरण	
1	एजेन्सी /फर्म का नाम	
2	पूर्ण पता मो./टेलीफोन नं. सहित	
3	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू0 500.00
	डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम	
	डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या/दिनांक	
4	धरोहर राशि	रू0 50000.00
	डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम	
	डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या/दिनांक	
5	रिकार्ड वीडिंग हेतु कय के लिए प्रस्तुत आफर दर	अंको में रू0 शब्दों में रू0
6	अनुभव प्रमाण पत्र	संलग्न किया जाय

नोट– मुझे निविदा की समस्त शर्ते मान्य है।

फर्म के प्रोपाइटर /अधिकृत प्रतिनिधि

का नाम एव हस्ताक्षर

पता

Scanned by CamScanner